न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर

बइजलास– श्री सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 60/2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. रामकरण पुत्र पन्नाराम 2. रामसुख पुत्र मोहनराम 3. बद्रीराम पुत्र मोहनराम 4. कानाराम पुत्र मोहनराम 5. सुवटी पत्नि मोहनराम 6. अन्नी पुत्री मोहनराम 7. गोमती पुत्री मोहनराम 8. कमल पुत्र रामपाल 9. कुम्भाराम पुत्र रामपाल 10. दिनेश पुत्र रामपाल 11. घेवरी बेवा रामपाल 12. सरिता पुत्री रामपाल 13. मीना पुत्री रामपाल 14. गोदावरी बेवा किशनाराम 15. भंवरी पुत्री किशनाराम 16. जोरा पुत्री किशनाराम 17. नैनी पुत्री किशनाराम 18. चुका पुत्री किशनाराम 19. शारदा पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील व जिला नागौर।	1. भगवानाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 3. शाखा प्रबन्धक, दी नागौर सेन्ट्रल कॉ–ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा नाागौर।

उपस्थित :–

श्री दिनेश हेडा व श्रवण बिड़ियासर (वकील वादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद वास्ते बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– ....

1. वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :–

1) यह हैं कि, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनकी वंशावली पैरा संख्या 1 अनुसार हैं।

2) यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बालासर तहसील व जिला नागौर में खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 2.3957 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 3.6179 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735/304 रकबा 2.7761 हैक्टेयर कुल रकबा 15.9122 हैक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी पक्षकारो के नाम दर्ज है।

3) यह है कि उपरोक्त भूमि पक्षकारो की पुश्तैनी भूमि है और पक्षकारों ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व सवंत 2056 की आखातीज को आपस में विवादित भूमि के उपजाउपन व कीमतो को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार व स्वेच्छा से राजी खुशी बंटवाडा कर लिया।

4) यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने.अपने बट आई भूमियो के काबिज काश्तकार है। परन्तु विवादित खेतो की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उपरोक्त भूमि के विकास आदि में आ रही हैंए जिससे वादीगण उपरोक्त भूमि का माफिक व् पारिवारिक बटवाडा बट आई भूमियो के अनुसार करवाना चाहते हैंए जिसके लिए उक्त बाद पेश है।

अन्त में इस्तदुआ कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे–

1. कि विवादित भूमि ग्राम बालासर तहसील व जिला नागौर में खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 2. 3957 हेक्टेयर खसरा नम्बर 212 रकबा 3,6179 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 / 304 रकबा 27761 हैक्टेयर कुल रकबा 15.9122 हैक्टेयर का पक्षकारों के मध्य हुए मौखिक, पारिवारिक बंटवाडा अनुसार बंट किया जाकर बंटवाडे की डिकी निम्नानुसार पारित फरमाये–
   - **A-** कि वादी संख्या 1 रामकरण के बंट में खेत खसरा नम्बर 324 ग्राम बालासर का उतरी पूर्वी भाग 1.7402 हैक्टेयर बट कब्जे काश्त में रखा गया है।
   - **B-** कि वादीगण संख्या 2 से 7 के बंट में खेत खसरा नम्बर 324 ग्राम बालासर का दक्षिणी पश्चिमी भाग 1.7402 हैक्टेयर बंट कब्जे काश्त में रखा गया है तथा खसरा नम्बर 212 रकबा 3.6179 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट कब्जे काश्त में रखा गया है।
   - **C-** कि वादीगण संख्या 8 से 13 के बंट में खेत खसरा नं. 324 ग्राम बालासर का उतरी पश्चिमी भाग 1.7402 हैक्टेयर बंट कब्जे काश्त में रखा गया है।
   - **D-** कि वादीगण संख्या 14 से 19 के बंट में खेत खसरा नम्बर 324 ग्राम बालासर का दक्षिणी पूर्वी भाग 1.7402 हैक्टेयर बंट कब्जे काश्त में रखा गया है।
   - **E-** कि प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के बंट में खसरा नम्बर 735/304 रकबा 2.7761 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 208 रकबा 2.3957 हैक्टेयर सम्पूर्ण ग्राम बालासर बंट कब्जे काश्त में रखा गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये रजि0 एडी सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण जरिये रजि0 एडी तामिल सम्मन गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. दिनांक 02.11.2022 को वकील वादी ने गवाह वादी (PW-1) श्री रामकरण, (PW-2) श्री कानाराम, (PW-3) श्री बद्रीराम, (PW-4) श्री रामसुख व (PW-5) श्रीमती सुवटी के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये तथा बयान कलमबद्ध करवाये।

   1) गवाह वादी (PW-1) श्री रामकरण ने अपने बयान दिनांक 02.11.2022 में कहा कि "मैने मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र में लिखे कथन सही होना एवं शपथ पत्र पर गवाह ने प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी अपना हस्ताक्षर सही होना स्वीकार किया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी पुश्तैनी मौजा मकौड़ी सम्वत् 2038 से 2041 (प्रदर्श–1), जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 (प्रदर्श–2), जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 (प्रदर्श–3), खतौनी

जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2035 (प्रदर्श–4), खसरा पत्रक क्रमशः प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8, जमाबंदी सम्वत 2077 ख.नं. 135 मौजा मकोड़ी (प्रदर्श–9), जमाबन्दी विक्रम सम्वत 2077 ख.नं. 208, 212, 324, 735/304 (प्रदर्श–10), जमाबन्दी सम्वत 2077 ख.नं. 1128/135 (प्रदर्श–11) हैं। माफिक वाद डिक्र किया जावे।''

2) गवाह (PW-2) श्री कानाराम ने अपने बयान दिनांक 02.11.2022 में कहा कि ''मुख्य परीक्षण में मैने गवाह के रूप में शपथ पत्र पेश किया हैं जिसमें लिखी सभी बातें सही हैं व शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।''
3) गवाह (PW-3) श्री बद्रीराम ने अपने बयान दिनांक 02.11.2022 में कहा कि ''मुख्य परीक्षण में मैने गवाह के रूप में शपथ पत्र पेश किया हैं जिसमें लिखी सभी बातें सही हैं व शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।''
4) गवाह (PW-4) श्री रामसुख ने अपने बयान दिनांक 02.11.2022 में कहा कि ''मुख्य परीक्षण में मैने गवाह के रूप में शपथ पत्र पेश किया हैं जिसमें लिखी सभी बातें सही हैं व शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।''
5) गवाह (PW-5) श्रीमती सुवटी ने अपने बयान दिनांक 02.11.2022 में कहा कि ''मुख्य परीक्षण में मैने गवाह के रूप में शपथ पत्र पेश किया हैं जिसमें लिखी सभी बातें सही हैं व शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।''

4. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया जिससे वादी का वाद प्राथमिक डिक्री के योग्य होने से मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 2.3957 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 3.6179 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 7. 1225 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735/304 रकबा 2.7761 हैक्टेयर कुल रकबा 15.9122 हैक्टेयर भूमि का मौके पर बाई मीट्स व बाउण्ड्स बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार (भू.अ.) नागौर के पत्रांक :भू.अ./2023/4600 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में दिनांक 14.09.2023 को प्राप्त हुई। जिस पर वादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार नागौर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

6. वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नागौर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने पर सहमति जाहिर की हैं। तहसीलदार (भू.अ.) नागौर से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं वादीगण के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री सादिर की जाती हैं :–

A- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर में से उतरी पूर्वी भाग रकबा 1.7402 हैक्टेयर वादी संख्या 1 रामकरण के बंट एवं कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

B- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर में से दक्षिणी पश्चिमी भाग रकबा 1.7402 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 212 रकबा 3.6179 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादीगण संख्या 2 से 7 के बंट एवं कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

C- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत खसरा नं. 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर में से उतरी पश्चिमी भाग रकबा 1.7402 हैक्टेयर वादीगण संख्या 8 से 13 के बंट एवं कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

D- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर में से दक्षिणी पूर्वी भाग रकबा 1.7402 हैक्टेयर वादीगण संख्या 14 से 19 के बंट एवं कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

E- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत खसरा नम्बर 735/304 रकबा 2.7761 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 208 रकबा 2.3957 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के बंट एवं कब्जे काश्त का घोषित किया जाता है।

F- मौजा बालासर तह0 व जिला नागौर का खेत ख.नं. 324 रकबा 7.1225 हैक्टेयर में से रकबा 0.1617 (मध्य भाग पश्चिम से पूर्व) वादीगण संख्या 1 से 19 के शामलाती रास्ते के रूप में घोषित किया जाता हैं।

तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे निर्णय का अभिन्न अंग होगा। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय आज दिनांक ....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर